प्रेस नोट

थाना–पिलखुवा दिनांक 11.11.2022

हापुड़ पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए कुकर्मी को आजीवन कारावास व 35,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः–

अभियुक्त चांद पुत्र जान मौहम्मद निवासी मौ0 सदीकपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा दिनांक 24.12.2020 को 06 वर्षीय मासूम बच्चें के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 572/20 धारा 377,307 भादवि व 5एम/6 पोक्सों अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अप्राकृतिक कृत्य जैसे जघन्य अपराधों की पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सैल, हापुड द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 11–11–2022 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास व 35,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सिद्धदोष अपराधी का नाम व पताः–

चांद पुत्र जान मौहम्मद निवासी मौ0 सदीकपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड।